<u>न्यायालय-दिलीपसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—581 / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक—27.06.2016</u> फाईलिंग क.—300588 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

<u>विरूद</u> //

विजय सिंह पिता गरीब सिंह मेरावी, उम्र—35 वर्ष, निवासी—ग्राम परसाटोला, थाना बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

–<u>अभियुक्त</u>

अभियोजन

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-06/06/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—20.06.16 को 11:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम परसाटोला में रविशंकर की किराना दुकान के पास शत्रुघ्न के खेत में लोकस्थान पर फरियादी इन्द्रजीत मेरावी को मॉ—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहत/फरियादी को कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया है।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—20.06.2016 को योगेन्द्र सिंह थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को सी.एच.सी. बैहर से अस्पताल की तहरीर प्राप्त होने पर सहायक उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह ने आहत इन्द्रजीत के कथन लेखबद्ध किये थे, जिसमें आहत ने बताया था कि दिनांक—20.06.2016 को 11:00 बजे आहत ने गांव के शत्रुघ्न गोंड का खेत ठेके पर लिया था, वहां वह धान बोने के लिए गया था, वहां

शत्रुघ्न के भाई विजय गोंड ने उसे धान क्यों बोता है, कहकर उसे मॉ—बहन की अश्लील गालियां दी थी। आहत ने गालियां देने से मना किया था तो अभियुक्त विजय ने उसे कहा था कि वह अब यहां खेत में आएगा तो जान से खत्म कर देगा हाथ में रखी कुल्हाड़ी की मुद्धई के पिछले हिस्से से बाई भीं के उपर मस्तक में आहत के मार दी थी। पुलिस थाना बैहर ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर अपराध क्रमांक—128/2016 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:--

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—20.06.16 को 11:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम परसाटोला में रविशंकर की किराना दुकान के पास शत्रुघ्न के खेत में आहत इन्द्रजीत मेरावी को कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की ?

— <u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

6— इन्द्रजीत मेरावी अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि घटना दिनांक—20.06.2016 की है। साक्षी की अभियुक्त से झूमा—झटकी हुई थी। इस कारण साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में मेडिकल प्ररीक्षण हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि उसने अपनी रिपोर्ट में कुल्हाड़ी से मारने वाली बात नहीं लिखाई थी, पुलिस ने कैसे लिख ली कारण नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि उसे चोट गिरने के कारण आई थी। साक्षी ने पुलिस को बयान देने से इंकार किया है।

7— सोहनसिंह अ.सा.2 का कथन है कि वह फरियादी एवं अभियुक्त को नहीं जानता। उसे घटना की जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने प्रदर्श पी—1 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। साक्षी की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे अभियोजन के प्रकरण का समर्थन होता हो।

- 8— इन्द्रजीत अ.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। सोहनसिंह अ.सा.2 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त एवं फरियादी का राजीनामा हो गया है। संभवतः आहत इन्द्रजीत द्वारा राजीनामा करने के कारण आहत इन्द्रजीत ने एवं साक्षी सोहनसिंह ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत/फरियादी इन्द्रजीत मेरावी को कुल्हाड़ी से सिर पर मारकर स्वेच्छ्या साधारण उपहित कारित की थी। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 9— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 10- प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कुल्हाड़ी मय बेसा के मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट